(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 73 / 2023
रजिस्ट्रेशन सं. :– 2023 / 223

बउनवान

राज. सरकार जर्ये श्री नीरज कुमार नागर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ
(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री जितेन्द्र जैन पुत्र श्री शिखरचंद जैन जाति महाजन निवासी चौमुखा बाजार, बारॉ (विक्रेता) मैसर्स महावीर किराना स्टोर, चारमूर्ति चौराहा, बारां जिला बारां
2. श्री शिखरचंद जैन पुत्र श्री हरिवल्लभ निवासी चौमुखा बाजार, हरिओम चतुर्वेदी वकील के सामने, बारां जिला बारां (मालिक) मैसर्स महावीर किराना स्टोर, चारमूर्ति चौराहा, बारां जिला बारां
3. तजम्मुल हुसैन पुत्र मुल्ला खां अली निवासी हल्दिया की गली, बारां (मालिक) मैसर्स बुरहानी ट्रैडिंग कंपनी, छोटा सर्राफा बाजार, सब्जीमंडी बारां
4. मैसर्स बुरहानी ट्रैडिंग कंपनी, छोटा सर्राफा बाजार, सब्जीमंडी बारां
5. श्री प्रेमराज राठी पुत्र श्री भूरामल राठी निवासी हाउस नं. 4–जे–42 विज्ञान नगर, कोटा (मालिक) मैसर्स श्री श्याम राईस इण्डस्ट्रीज, ई–45 चंबल इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा
6. मैसर्स श्री श्याम राईस इण्डस्ट्रीज, ई–45 चंबल इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II) 52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अप्रार्थी क्र. 1,2,5 एवं 6)
3– अनुपस्थित (अप्रार्थी क्रम 3 एवं 4)

निर्णय दिनांक 28.03.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री नीरज कुमार नागर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.03.2023 को मैसर्स महावीर किराना स्टोर, चारमूर्ति चौराहा, बारां जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री जितेन्द्र जैन पुत्र श्री शिखरचंद जैन (विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.03.2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूॅ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक आयुक्ता0 / खासुऔनि / संस्था / 2022 / 6235 दि. 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 24 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां पर [illegible] पदार्थ **बासमती चावल (एवरीडे गुड च्वाईस) मूल पॉली पैक** 01 कि.ग्रा.–01 कि.ग्रा. के मूल 12 कि.ग्रा. रैक में अ[illegible] को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विकेता से परिचय लिया। विक्रेता से [illegible] पर खाद्य पदार्थ **बासमती चावल (एवरीडे गुड च्वाईस) मूल पॉली पैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप की शंका होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विकेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:58:33 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **बासमती चावल (एवरीडे गुड च्वाईस) मूल पॉली पैक** के चार मूल पॉली पैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री जितेन्द्र जैन पुत्र श्री शिखरचंद जैन (विक्रेता) को 240 / – रूपये (अक्षरे दो सौ चालीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **बासमती चावल (एवरीडे गुड च्वाईस) मूल पॉली पैक** को प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक ए.एच.–1781 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1781 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री जितेन्द्र जैन पुत्र श्री शिखरचंद जैन (विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मु. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र कमांक/एफएसएसए/2023/161 दिनांक 13.04.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 588/PHL/Kota/Act/2023/590 दिनांक 04.04.2023 के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 11.08.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 03 एवं 04 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 1,2,5 एवं 6 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 1,2,5 एवं 6 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **बासमती चावल (एवरीडे गुड च्वाईस) मूल पॉली पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह खाद्य विश्लेषक, कोटा की जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के संपूर्ण तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 01 व 02 को विश्लेषण रिपोर्ट दिनांक 04.04.2023 की प्रति निवेदन करने पर भी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। जांच रिपोर्ट की प्रति अप्रार्थीगण को प्राप्त नहीं होने से अप्रार्थीगण एनएबीएल प्राधिकृत प्रयोगशाला में जांच नहीं करवा सके, जिससे अप्रार्थीगण के वैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि जिस प्रयोगशाला में नमूने की जांच की गई है, वह एनएबीएल प्राधिकृत प्रयोगशाला है अथवा नहीं। क्योंकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(P) तथा 43(1) के तहत एनएबीएल प्राधिकृत अथवा एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित प्रयोगशाला में तैयार विश्लेषण/जांच रिपोर्ट हीं वैध है अन्यथा वह जांच रिपोर्ट अवैध व अमान्य है। पत्रावली मे कहीं भी नमूने की छायाप्रति या नमूना संलग्न नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि वास्तविकता में **बासमती चावल (एवरीडे गुड च्वाईस)** के 01 किग्रा. के पैकेट पर एक्सपाईरी डेट अंकित थी अथवा नहीं। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त पैकेट्स में बासमती चावल का विक्रय किया जा रहा था। चावल मोटा अनाज की श्रेणी में आता है एवं चावल जितना पुराना होता है, उसकी गुणवत्ता एवं क्वालिटी दिन–प्रतिदिन बढ़ती जाती है। चावल की एक्सपाईरी डेट नहीं होती है। चावल जितना पुराना होता है, उसकी गुणवत्ता में उतनी ही वृद्धि होती जाती है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध की गयी कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:58:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि नमूनीकरण के बाद हीं FBO को फार्म नं. V A की प्रति उपलब्ध करवा दी जाती है जिसमें संपूर्ण जानकारी लेबल से संबंधित अंकित होती है। उस पर FBO (दुकानदार) एवं गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाते है। अतः अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा यह कहना आधारहीन है कि नमूने की छायाप्रति नहीं है। अप्रार्थीगण को पत्रांक 161 दिनांक 13.04.2023 के द्वारा 46(4) के नोटिस के साथ प्रयोगशाला की रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई जा चुकी है। यदि उक्त पत्रांक के साथ अप्रार्थीगण को लेबोरेट्री की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी तो उनका दायित्व था कि कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति प्राप्त कर सकते थे। खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, कोटा राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एवं FSSAI, दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है। अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान जांच विधि पर जो प्रश्न किया गया है, वह तब गौर फरमाया जाता है जब नमूना अवमानक श्रेणी या असुरक्षित श्रेणी का होता है। मिथ्याछाप श्रेणी में एक्सपाईरी डेट नहीं दर्शाना एक गणितीय प्रक्रिया है जो प्रश्न के दायरे में नहीं ली जा सकती है। अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि चावल जितना पुराना होता है, उतनी चावल की गुणवत्ता बढती है तो फिर अप्रार्थीगण के द्वारा Best Before 2 Years के स्थान पर Best After 2 Years or more Years लिखना चाहिए। अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 588/PHL/Kota/Act/2023/590 दिनांक 04.04.2023 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थीगण को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **बासमती चावल (एवरीडे गुड च्वाईस) मूल पॉली पैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 588/PHL/Kota/Act/2023/590 दिनांक 04.04.2023 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी क्रम 1 एवं 2 को 22,000 रूपये, अप्रार्थी क्रम 3 एवं 4 को 42,000 रूपये एवं अप्रार्थी क्रम 5 एवं 6 को 62,000 रूपये प्रकरण में कुल जुर्माना राशि 1,26,000/– रूपये (अक्षरे एक लाख छब्बीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे। प्रकरण मे अप्रार्थी क्रम 03 व 04 को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किये जाने उपरांत भी अनुपस्थित रहने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि रजिस्टर्ड डाक से पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक **28.03.2024** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:38:33 IST
Reason: SelfAttested